

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा (छ0ग0)

-:विविध आदेश:-

क्रमांक क्यू/दो-12-25/2007

जांजगीर दिनांक /05/2024

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा वर्ष 2024 हेतु दिनांक 13.05.2024 से 07.06.2024 तक अधिनस्थ न्यायालयों हेतु ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। ग्रीष्मावकाश की उपरोक्त अवधि में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के न्यायिक कर्मचारियों के कार्य किये जाने के संबंध में आदेश निम्नानुसार पारित किया जाता है :-

समस्त निम्नलिखित कर्मचारी अपने पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि एवं अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को छोड़कर शेष अवधि में-

जिला मुख्यालय हेतु

1. स्टेनोग्राफर/साक्ष्य लेखक -

कार्यालय में उपस्थित रहकर भर्ती सेल में कार्य करेंगे।

2. आपराधिक प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक -

Action Plan for Arrears Reduction in District Judiciary (APAaR-DJ) के प्रथम फेस हेतु जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुये समस्त प्रकरणों का भौतिक सत्यापन पीठासीन अधिकारी से करवाकर NJDG/CIS से मिलान कर चाही गयी वांछित सूची को निर्धारित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

3- आदेशका लेखक -

पीठासीन अधिकारी के कार्यरत रहने के दौरान ही सिविल प्रकरणों में आदेशिकाएं निर्वाहन हेतु प्राप्त कर आदेशिकाएं जारी कर नजारत अनुभाग की ओर प्रेषित करेंगे एवं शेष अवधि में न्यायिक अभिलेखागार में उपस्थित होकर प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

4- न्यायालयीन भृत्य :-

प्रत्येक कार्य दिवस में आधे दिन कार्यालय में उपस्थित होकर भर्ती सेल में कार्य करेंगे।

बाह्य मुख्यालय हेतु

1- स्टेनोग्राफर/साक्ष्य लेखक -

प्रभारी अधिकारी नजारत के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

टीप:- भर्ती सेल में आवश्यकता होने पर व्यवहार न्यायालय चाम्पा, नवागढ़, पामगढ़ एवं अकलतरा में पदस्थ उक्त कर्मचारियों को बुलाये जाने पर उन्हें तत्काल मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा।

2- आपराधिक प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक -


Action Plan for Arrears Reduction in District Judiciary (APAAr-DJ) के प्रथम फेस हेतु जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुये समस्त प्रकरणों का भौतिक सत्यापन पीठासीन अधिकारी से करवाकर NJDG/CIS से मिलान कर चाही गयी वांछित सूची को निर्धारित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

3- आदेशका लेखक -

पीठासीन अधिकारी के कार्यरत रहने के दौरान सिविल प्रकरणों में आदेशिकाएं निर्वाहन हेतु प्राप्त कर आदेशिकाएं जारी कर नजारत अनुभाग की ओर प्रेषित करेंगे एवं शेष अवधि में प्रभारी अधिकारी नजारत के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

4- न्यायालयीन भृत्य :-

प्रभारी अधिकारी नजारत के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे।



(शक्ति सिंह राजपूत)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ0ग0)

पृष्ठां० क्र० ९३७/दो-१२-४५/०७,
यथा आदेश प्रतिलिपि:-

जांजगीर, दिनांक १०/०५/२०२४

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर/सक्ती।
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), सक्ती।
3. प्रथम/द्वितीय, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) जांजगीर/सक्ती/अकलतरा/चांपा।
4. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी), जांजगीर/सक्ती/नवागढ़/पामगढ़/मालखरौदा/
डभरा/जैजैपुर।
5. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, जांजगीर-चांपा।
6. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर।
7. सहायक प्रोग्रामर, जिला न्यायालय जांजगीर की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईट में अपडेट
करने हेतु प्रेषित।
8. अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ,
जांजगीर/सक्ती/अकलतरा/चांपा/बम्हनीडीह/नवागढ़/पामगढ़/मालखरौदा
/डभरा/जैजैपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा (छ०ग०)